

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 278/22

तारीख दायर 19/9/22

बाली देवी पत्नि राजुलाल जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थीया

बनाम

1. फुलिया पुत्र जमना जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. सोहनी पत्नि भैरु जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. जयलाल पुत्र गोपाल जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. मुकेश पुत्र बंशीलाल जाति मेवाड़ा उम्र वयस्क निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :-

दिनांक 5/9/22

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने जरिये अभिभाषक श्री घनश्याम लाल धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम चिताबड़ा पटवार हल्का चांदजी की खेड़ी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 31 पर अंकित आराजी संख्या 263/63 रकबा 0.1376 हैक्टेयर भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थीया वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।


अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम चिताबड़ा पटवार हल्का चांदजी की खेड़ी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 31 पर अंकित आराजी संख्या 263/63 रकबा 0.1376 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 278/22

तारीख दायर 19/9/22

प्रेषिति :-

कैलाल - 5/9/22

तहसीलदार  
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या .....278..... / 2022 पत्थरगढी बाबत।

बाली देवी पत्नि राजुलाल जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थीया

बनाम

1. फुलिया पुत्र जमना जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. सोहनी पत्नि भैरु जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. जयलाल पुत्र गोपाल जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. मुकेश पुत्र बंशीलाल जाति मेवाड़ा उम्र वयस्क निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम चिताबड़ा पटवार हल्का चांदजी की खेड़ी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 31 पर अंकित आराजी संख्या 263/63 रकबा 0.1376 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पड़ौसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी करने से पूर्व पड़ौसी एवं विपक्षीगणों को सूचित करे। (कमिश्नर फीरु 500/- रु तम दिनांक 18/9/22) प्राचीन मौके पर अदा करेगा

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा